दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय की तारीखः 8 मई, 2024

सि.वा. (मू.प.) 135/2006, अंतर.आ.10424/2023

बॉश लिमिटेड .....वादी

द्वारा: अधिवक्तागण श्री अश्विन कुमार डी.एस. और श्री ईशान रॉय चौधरी।

बनाम

मेसर्स गुप्ताजी इंजीनियर्स व अन्य .....प्रतिवादीगण

द्वारा: प्र.2 के लिए अधिवक्तागण श्री शिखर मित्तल और सुश्री पी. ललिता सौम्या प्रिया।

कोरमः

माननीय न्यायमूर्ति सुश्री नीना बंसल कृष्णा

निर्णय *(मौखिक)*

अंतर.आ. 18363/2023 (प्रतिवादी सं. 2, श्री सुनील गुप्ता के प्रस्तावित कानूनी प्रतिनिधि की ओर से धारा 151 सि.प्र.सं. के तहत दायर की गई है, जिसमें वादी द्वारा दायर अंतर.आ. सं. 10424/2023 का उत्तर दाखिल करने में देरी के लिए क्षमा मांगी गई है), अंतर.आ. 18365/2023 (प्रतिवादी सं. 2, श्री सुनील गुप्ता के प्रस्तावित कानूनी प्रतिनिधि की ओर से धारा 151 सि.प्र.सं. के तहत दायर की गई है, जिसमें वादी द्वारा दायर अंतर.आ.सं. 10423/2023 का उत्तर दाखिल करने में देरी के लिए क्षमा मांगी गई है)

1. धारा 151 सि.प्र.सं. के तहत वर्तमान आवेदन प्रतिवादी सं. 2 के प्रस्तावित कानूनी प्रतिनिधि *श्री सुनील गुप्ता* की ओर से दायर किया गया है, जिसमें वादी द्वारा दायर अंतर.आ. सं. 10423/2023 और अंतर.आ. संख्या 10424/2023 का जवाब दाखिल करने में देरी के लिए माफी मांगी गई है।

2. आवेदनों में बताए गए कारणों के लिए, 74 दिनों की देरी को माफ किया जाता है। उत्तर अभिलिखित किया जाता है।

3. तदनुसार, आवेदनों का निपटान किया जाता है।

<u>अंतर.आ.10424/2023 (परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के तहत)</u>

4. वर्तमान आवेदन के माध्यम से, वादी प्रतिवादी सं. 2 के वाद की समाप्ति को रद्द करने के लिए सि.प्र.सं., 1908 के आदेश XXII नियम 9 (2) के तहत आवेदन सं. अंतर.आ. 10423/2023 दाखिल करने में 120 दिनों की देरी के लिए माफी चाहता है।

5. **आवेदन में यह प्रस्तुत किया गया है** कि प्रतिवादी सं. 2 की मृत्यु की सही तारीख 02.05.2023 तक वादी को ज्ञात नहीं थी, जब प्रतिवादी सं. 2 के कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा आवेदन सं. अंतर.आ. 16250/2022 का उत्तर दायर किया गया था। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि वादी ने प्रतिवादी सं. 2 यानी यहां प्रस्तावित प्रतिवादी के कानूनी उत्तराधिकारियों के विवरण को सुरक्षित करने का हर संभव प्रयास किया, जिसके बारे में उसे सितंबर, 2022 में ही पता चला।

इसके तुरंत बाद, वादी ने मृतक प्रतिवादी सं. 2 के कानूनी उत्तराधिकारियों को रिकॉर्ड पर लाने के लिए अंतर.आ. 16250/2022 दायर किया।

6. यहां तक कि अगर यह मान लिया जाता है कि प्रतिवादी सं. 2 की वास्तव में 16.02.2021 को मृत्यु हो गई थी, तो भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2020 *स्वत: संज्ञान रिट याचिका (सि) स. 3, पारित सीमा के विस्तार के लिए पुनः संज्ञान में पारित सीमा के विस्तार पर* स्वत: संज्ञान आदेश के अनुसार, परिसीमा अधिनियम 1963, के तहत अनुसूची के अनुच्छेद 120 के तहत प्रदान की गई 90 दिनों की अवधि, 01.03.2022 से शुरू हुई और 29.05.2022 को समाप्त हो गयी।

7. इस प्रकार, यह प्रस्तुत किया गया है कि 29.05.2022 (जिस तारीख को 120 दिन की अवधि समाप्त हो गई) से 27.09.2022 तक अंतर.आ.16250/2022 को स्थानांतरित करने की तारीख तक लगभग 120 दिनों की देरी हुई थी। जब प्रस्तावित प्रतिवादी सं. 2 ने दावा किया कि अंतर.आ.16250/2022 के उनके उत्तर में वाद समाप्त हो गया था, जिसे 02.205.2023 को अभिलिखित किया गया था, तो वादी ने तुरंत 19.05.2023 को प्रतिवादी सं. 2 के वाद के उपशमन को ख़ारिज करने के लिए सि.प्र.सं., 1908 के आदेश XXII नियम 9 (2) के तहत अंतर.आ. 10423/2023 दायर किया था।

8. यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदन में बताए गए कारणों से, 120 दिनों की देरी को माफ किया जा सकता है और प्रतिवादी सं. 2 के वाद के उपशमन को ख़ारिज करने के लिए सि.प्र.सं., 1908 के आदेश XXII नियम 9(2) के तहत आवेदन सं. अंतर.आ. 10423/2023 को अभिलिखित किया जा सकता है और अनुमति दी जा सकती है।

9. **वर्तमान आवेदन का प्रतिवादी सं. 2 के कानूनी उत्तराधिकारी की ओर से इस आधार पर विरोध किया गया है** कि वाद वास्तव में समाप्त हो गया था और प्रतिवादी सं. 2 की मृत्यु की जानकारी 2021 में ही दे दी गई थी। यदि कोविड-19 की अवधि को छोड़ भी दिया जाए तो प्रतिवादी सं. 2 के कानूनी उत्तराधिकारियों के प्रतिस्थापन की अवधि मई, 2022 में समाप्त हो गई और प्रतिवादी संख्या 2 के संबंध में वाद के उपशमन को खारिज करने के लिए सि.प्र.सं., 1908 के आदेश XXII नियम 9(2) के तहत आवेदन सं अंतर.आ. 10423/2023 उसके बाद 30 दिनों के भीतर दायर किया जाना चाहिए था, जो जून, 2022 में समाप्त हो गया। वर्तमान आवेदन केवल मई, 2023 में दायर किया गया है और देरी 120 दिनों की नहीं है जैसा कि दावा किया गया है, बल्कि लगभग 11 महीने की है।

10. यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस देरी के लिए कोई ठोस स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है और आवेदन खारिज होने योग्य है।

11. **प्रस्तुतियाँ सुनी गईं।**

12. वर्तमान आवेदन में किए गए कथनों से यह स्पष्ट है कि देरी शुरू में कोविड-19 महामारी के कारण हुई थी। इसके बाद, वादी ने मृतक प्रतिवादी सं. 2 के कानूनी उत्तराधिकारियों को अभिलिखित करने के लिए 27.09.2022 को सि.प्र.सं. के आदेश XXII नियम 4 के तहत अंतर.आ. 16250/2022 दायर किया है। असावधानी के कारण, प्रतिवादी सं. 2 के वाद के उपशमन को ख़ारिज करने के लिए सि.प्र.सं, 1908 के आदेश XXII नियम 9(2) के तहत आवेदन सं. अंतर.आ. 10423/2023 में देरी हुई है।

13. यह स्पष्ट है कि कानूनी उत्तराधिकारियों के प्रतिस्थापन के लिए आवेदन पूरी लगन से दायर किया गया था और प्रतिवादी सं. 2 के संबंध में वाद के उपशमन को ख़ारिज करने के लिए सि.प्र.सं., 1908 के आदेश XXII नियम 9(2) के तहत उचित आवेदन संख्या अंतर.आ. 10423/2023 दायर नहीं करने में पूरी तरह से असावधानी है, क्योंकि कानूनी उत्तराधिकारी प्रतिवादी सं. 2 के प्रतिस्थापन की अनुमति केवल उपशमन को ख़ारिज करने के बाद ही दी जा सकती है।

14. यह भी ध्यान रखना उचित है कि प्रक्रियात्मक कानूनों को मुवक्किल के खिलाफ़ लागू करके उसे उसके मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। न्याय के हित में और ऊपर बताए गए कारणों से, आवेदन को स्वीकार किया

जाता है और सि.प्र.सं., 1908 के आदेश XXII नियम 9(2) के तहत आवेदन संख्या अंतर.आ.10423/2023 दाखिल करने में हुई देरी को स्वीकार किया जाता है।

<u>अंतर.आ.10423/2023 (आदेश XXII नियम 9(2) सि.प्र.सं. के तहत वादी द्वारा प्रतिवादी सं. 2 के विरुद्ध वाद के उपशमन को खारिज करने के लिए दायर किया गया है)</u>

15. आदेश XXII नियम 9(2) सि.प्र.सं. के तहत प्रतिवादी सं. 2 के वाद के उपशमन को रद्द करने के लिए वादी की ओर से आवेदन दायर किया गया है।

16. **प्रतिवादी सं.2 के कानूनी उत्तराधिकारियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने आवेदन का विरोध किया है** और प्रस्तुत किया है कि प्रतिवादी संख्या 2 की मृत्यु के तथ्य की जानकारी 2021 में ही दे दी गई थी। इसके बाद, आदेश XXII नियम 4 सि.प्र.सं. के तहत आवेदन सितंबर, 2022 में दायर किया गया, इस तथ्य के बावजूद कि वाद पहले ही समाप्त हो चुका है।

17. ***प्रतिवादी सं. 2 के कानूनी उत्तराधिकारी के विद्वान अधिवक्ता*** ने सि.प्र.सं., 1908 के आदेश XXII नियम 9(2) के तहत आवेदन संख्या अंतर.आ. 10423/2023 का इस आधार पर विरोध किया है कि प्रतिवादी सं. 2 के प्रस्तावित कानूनी उत्तराधिकारी के खिलाफ वादी के पक्ष में *मुकदमा करने का कोई अधिकार* नहीं है। यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी सं. 2 द्वारा संचालित प्रतिवादी सं.1 की भागीदारी फर्म 31.03.2006 को भंग हो गई।

इसलिए, प्रस्तावित प्रतिवादी सं.2/सुनील गुप्ता, जो प्रतिवादी सं. 2/स्वर्गीय श्री जेपी गुप्ता का पुत्र है, किसी भी तरह से प्रतिवादी सं. 1 की देनदारियों के लिए जिम्मेदार नहीं है और इस प्रकार, उसे पक्ष के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता है।

18. **प्रस्तुतियाँ सुनी गईं**

19. वादी ने प्रतिवादी सं. 1/मेसर्स गुप्ताजी इंजीनियर्स, भागीदारी फर्म के खिलाफ वाद दायर किया है और प्रतिवादी सं. 2/श्री जे.पी गुप्ता और प्रतिवादी सं. 3/श्री एम.के गुप्ता को प्रतिवादी सं. 1/मेसर्स गुप्ताजी इंजीनियर्स के भागीदार होने के नाते पक्षकार बनाया है। हालांकि, उनके लिखित बयान में, यह प्रस्तुत किया गया था कि भागीदारी फर्म 31.03.2006 को भंग हो गई थी, यानी वाद शुरू होने से पहले और भागीदारी फर्म का व्यवसाय प्रतिवादी सं. 2/श्री जे.पी गुप्ता द्वारा एकमात्र स्वामी के रूप में ले लिया गया था। परिणामस्वरूप, प्रतिवादी सं. 3/श्री एम.के गुप्ता का नाम हटा दिया गया।

20. वाद के लंबित रहने के दौरान, प्रतिवादी सं. 2/जे.पी गुप्ता की 16.02.2021 को मृत्यु हो गई और उसके बाद, इस बात को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हो गई कि क्या प्रतिवादी संख्या 2/जे.पी गुप्ता के पुत्र श्री सुनील गुप्ता के पक्ष में वाद हेतुक कायम है।

21. प्रतिवादी सं. 2/जे.पी गुप्ता के कानूनी उत्तराधिकारी की ओर से स्थापित बचाव यह है कि भागीदारी फर्म वर्तमान वाद दायर करने से पहले ही अस्तित्व में नहीं था और इसलिए, भागीदारी की कोई देयता नहीं है। हालाँकि, मृतक प्रतिवादी सं. 2/जे.पी गुप्ता ने खुद दलील दी थी कि प्रतिवादी सं. 1/मेसर्स गुप्ताजी इंजीनियर्स का व्यवसाय भागीदारी फर्म के एकमात्र मालिक के रूप में उनके द्वारा लिया गया था।

22. इस स्तर पर, प्रतिवादी सं. 2 के मामले में वाद के उपशमन को ख़ारिज करने के लिए सि.प्र.सं., 1908 के आदेश XXII नियम 9(2) के तहत आवेदन संख्या अंतर.आ 10423/2023 पर विचार करते हुए, यह विचार करना महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है कि प्रतिवादी सं. 2/जे.पी गुप्ता प्रतिवादी सं. 1/मेसर्स गुप्ताजी इंजीनियर्स की देनदारियों के लिए उत्तरदायी थे या नहीं, जिन्हें भंग कर दिया गया था, लेकिन यह गुणावगुण का मामला है जिस पर उचित चरण में विचार किया जाएगा। वाद 2006 में दायर किया गया था और मामले को गुणावगुण के आधार पर आगे बढ़ाया जा रहा है और प्रतिवादी सं. 2/जे.पी गुप्ता के बेटे के माध्यम से प्रतिनिधित्व करने की देयता पर उचित चरण में विचार किया जाना है।

23. यह उल्लेख करना पर्याप्त होगा कि साझेदारी फर्म द्वारा उठाए गए दायित्व केवल इसके विघटन से समाप्त नहीं होते हैं। भारतीय भागीदारी

अधिनियम, 1932 की धारा 45 और 47 में प्रावधान है कि फर्म के साझेदार फर्म के दायित्वों के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं और विघटन के बावजूद साझेदारों के खिलाफ दावे कायम रहते हैं। प्रतिवादी सं 2/जे.पी गुप्ता ने अपने लिखित बयान में स्वीकार किया है कि प्रतिवादी सं. 1/मेसर्स गुप्ताजी इंजीनियर्स, साझेदारी फर्म को उनके द्वारा एकमात्र मालिक के रूप में ले लिया गया था। इस स्तर पर, यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रतिवादी सं. 2/जे.पी गुप्ता के प्रति कोई देनदारी नहीं बची है, जिन्होंने प्रतिवादी सं. 1/पूर्ववर्ती साझेदारी फर्म को एकमात्र मालिक के रूप में संभाला था। इसके अलावा, यह भी नहीं कहा जा सकता है कि प्रतिवादी सं. 2/जे.पी गुप्ता के निधन पर उनकी देनदारी उनके बेटे श्री सुनील गुप्ता पर नहीं आई हैं।

24. प्रतिवादी सं. 2/जे.पी गुप्ता के कानूनी उत्तराधिकारी की ओर से यह दलील कि उन्हें पक्षकार नहीं बनाया जा सकता क्योंकि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने का कोई अधिकार नहीं है, पूरी तरह से भ्रामक है। स्वामित्व केवल एक व्यावसायिक नाम है जिसे स्वामी द्वारा चलाया जाता है। मालिक की मृत्यु के मामले में, मालिक के कानूनी प्रतिनिधियों के खिलाफ मुकदमा करने का अधिकार जारी रहता है क्योंकि असली पक्ष जिस पर मुकदमा चलाया जा रहा है, वह मालिक है न कि व्यवसाय जैसा कि *रघु लक्ष्मीनारायणन बनाम फाइन ट्यूब्स,*

(2007) 5 एससीसी 103 मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है।

25. इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि वर्तमान वाद में वाद हेतुक कोई कारण नहीं बचा है।

26. यह भी ध्यान देने योग्य है कि प्रतिवादी सं. 2/जे.पी गुप्ता ने अपने लिखित बयान में मुजरा (सेट-ऑफ) का भी दावा किया है। एक बार जब यह पाया जाता है कि बकाया देनदारियाँ हैं जिनका प्रतिवादी सं. 2/जे.पी गुप्ता बचाव किया जा रहा था, तो उनके कानूनी उत्तराधिकारी को पक्षकार न बनाने का परिणाम केवल मुजरा (*सेट-ऑफ*) में प्रतिवादी सं. 2/जे.पी गुप्ता के हितों का प्रतिनिधित्व न करना होगा।

27. ऊपर चर्चा की गई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, आवेदन की अनुमति दी जाती है और उपशमन को इसके द्वारा अलग रखा जाता है।

<u>अंतर.आ. 16250/2022 (आदेश XXII नियम 4 के तहत धारा 151 सि.प्र.सं.के साथ मृतक प्रतिवादी सं. 2 के कानूनी प्रतिनिधियों को अभिलिखित करने के लिए वादी की ओर से दायर किया गया है)</u>

28. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (जिसे आगे 'सि.प्र.सं' कहा जाएगा) की धारा 151 के साथ आदेश XXII नियम 4 के तहत आवेदन, मृतक प्रतिवादी सं. 2 के कानूनी प्रतिनिधियों को अभिलिखित करने के लिए वादी की ओर से दायर किया गया है।

29. दिनांक 07.08.2024 को विद्वान संयुक्त निबंधक के समक्ष विचारार्थ सूचीबद्ध किया जाए।

(नीना बंसल कृष्णा)
न्यायमूर्ति

08 मई, 2024/आरएस

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*